राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 17(11) शिक्षा–2/2016 दिनांक : 04/10/2016

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की आज्ञा क्रमांक–प. 5(1) प्रसु/सम/अनु–1/2008 पार्ट दिनांक 04.10.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु दिनांक 04.10.2016 से 20.10.2016 तक शिथिलता प्रदान की गई है।

इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों/शिक्षकों **(तृतीय श्रेणी अध्यापक, लेवल–1 व लेवल–2 को छोड़कर)**/कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

(A) राज्य सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिकों के पदों के मानदण्ड के अनुसार विद्यालयवार स्वीकृत पदों के अनुसार ही स्थानान्तरण/पदस्थापन की कार्यवाही की जावेगी।

(B) वरिष्ठ अध्यापक एवं प्राध्यापक (व्याख्याता) को उनके विषय के स्वीकृत पद पर ही पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जायेगा। अन्य संवर्गों के शिक्षकों/कार्मिको को भी उनके संवर्ग के स्वीकृत पद पर ही पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जायेगा।

(C) एनसीसी तथा स्काउट प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानान्तरण यथासम्भव उसी विद्यालय में किये जायेगें जहाँ सम्बन्धित एनसीसी तथा स्काउट गतिविधि संचालित है।

(D) राजस्थान ग्रामीण स्वैच्छा शिक्षा सेवा नियम, 2011 के तहत समायोजित कार्मिकों का स्थानान्तरण शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में नहीं किया जायेगा।

क्रमश पृ. – 2

(E) माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयो में स्थानान्तरण नहीं किये जायेगें।

(F) सामान्यतः काउन्सलिंग द्वारा पदस्थापित शिक्षकों का स्थानान्तरण स्वयं के आवेदन पर ही किया जायेगा।

(G) बिन्दु संख्या **(A)** से **(F)** की पालना सुनिश्चित करते हुये पारस्परिक स्थानान्तरण (Mutual Transfer) किये जायेंगे।

(H) **तृतीय श्रेणी अध्यापकों (लेवल–1 एवं लेवल–2) के स्थानान्तरण नहीं किये जायेगें।**

(I) **स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुये जारी किये जायेगें।**

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

4.10.2016

(इन्द्र सिंह राव)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव प्रथम, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (समन्वय)।
4. निजी सचिव, शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक (संस्थापन/आयोजना) शिक्षा विभाग।
6. शासन उप सचिव/विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1/6) विभाग।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
8. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग..।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला..।
10. रक्षित पत्रावली।

4.10.2016

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प.5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक : 04 अक्टुबर, 2016

–: आज्ञा :–

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 28 सितम्बर, 2016 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु दिनांक 04 अक्टुबर, 2016 से 20 अक्टुबर, 2016 तक शिथिलता प्रदान की जाती है।

04/10/2016
(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

मानक वितरण